KRISHNA SAHI): (a) Receipt and consideration of proposals for foreign direct investment is a continuous process. Since the announcement of New Industrial Policy, approvals have been accorded to 1814 proposals involving foreign direct investment of Rs. 13,967.66 crores till the end of February, 1994. As on 1st March, 1994, around 128 applications involving foreign direct investment of about Rs. 1500 crores were at various stages of their consideration in the Ministry.

(b) The New Industrial Policy does not prohibit 100 per cent foreign equity in any area. Some of the important areas in which 100 per cent foreign equity investment has been approved are Power, Hydro-carbon, Food Processing, Trading etc.

Issue of photo-identity cards by Delhi State Assembly

3176. SHRI V. NARAYANASAMY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the newly-elected Assembly in Delhi has taken a decision to prepare identity cards for the voters and issue the same to them by January 1, 1995;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps taken by Government to follow the same in regard to other States in the country well ahead of the elections; if no steps have been taken, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) The Government of National Capital Territory of Delhi have decided to issue identity cards to voters as per directions of the Election Commission of India.

(b) Government is to take a comprehensive and balanced view of the precise modalities of implementing this scheme taking into account the ground situations and realities.

(c) The matter has already been discussed in a meeting of the Chief Ministers held at New Delhi on 19th January, 1994.

राज्यों में न्यायालय की इमारतें

†3177. **श्री सुशील कुमार सम्राजीराव शिन्दे**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने लागत की समान भागीदारी के आधार पर राज्यों में न्यायालयों की इमारतों का निर्माण करने के लिए एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य की मांग क्या है; और

(ग) इस योजना के अंत तक सरकार का प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जिसके अन्तर्गत जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के लिए शासकीय और आवासीय भवनों का विनिर्माण भी है, से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। स्कीम पर होने वाले व्यय का अंशभाजन केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर, किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत संपूर्ण व्यय केन्द्र द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ख) और (ग) वर्ष 1994-95 के लिए व्यय की अनुज्ञेय मदों के बारे में राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव विवरण में दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन योजना आयोग द्वारा अधिकथित मानदंडों और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि के आधार पर दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 1994–95 के लिए व्यय की अनुज्ञेय मदों के बारे में राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

	राज्य का नाम	वर्ष 1994–95 के लिए प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव (लाख रु० में)
1	असम	204.15
2.	बिहार	400.00
3.	गुजरात	1720.60
4.	गोवा	300.00
5.	हरियाणा	2589.50
6.	हिमाचल प्रदेश	1862.34
7.	जम्मू-कश्मीर	1760.00
8.	कर्नाटक	3220.40
9.	केरल	1604.67
10.	मध्य प्रदेश	380.00
11.	महाराष्ट्र	2834.38
12.	मणिपुर	422.20
13.	मिजोरम	138.04
14.	नागालैंड	304.50
15.	पंजाब	2500.00
16.	राजस्थान	293.34
17.	सिक्किम	167.74
18.	तमिलनाडु	1265.27
19.	त्रिपुरा	1571.82
20.	उत्तर प्रदेश	12844.66
21.	पश्चिमी बंगाल	338.00
22.	उड़ीसा	271.50

उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश

†3178. **श्री मूलचन्द मीणा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित न्यायाधीशों की पृथक-पृथक संख्या सहित देश में उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित न्यायाधीशों की कम संख्या में नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) न्यायाधीशों के आरक्षित पदों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में पदासीन न्यायाधीशों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्रियों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या की बाबत जानकारी मांगी गई है और इसके प्राप्त होने के पश्चात् सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के निबंधनों के अनुसार की जाती है, जिसमें किसी जाति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के संबंध में आरक्षण के लिए उपबंध नहीं है। तथापि, सरकार ने मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों को समय-समय पर पत्र लिखे हैं, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे बार में से ऐसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं का, पता लगाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त हैं, ताकि उच्च न्यायालयों में इस समय